न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 44 सन 2019

अनवान :–

1. महावीर प्रसाद पुत्र बालूराम जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
   असल प्रतिवादी
2. श्योकोरी पत्नी बालूराम जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. महावीर प्रसाद 4 फरसाराम 5 सावरमल 6 किशनलाल 7 नन्दकिशोर पि0 बालुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

8 भंवरी 9. रामी पुत्रीया बालुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 15.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 413 की 10.05 बीधा भूमि दिनांक 18.07.1968 को बालुराम पुत्र रेवन्तराम को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से बालूराम का कब्जा काश्त में चली आ रही है। रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 413 की 10.05 बीधा भूमि भू प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान खसरा न0 65 की 10.02 बीधा परिवर्तन एवं पैमुद की गई है। बालुराम पुत्र रेवन्ताराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज एव कानुनी वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एव राजस्व रिकार्ड में बालूराम के वारिसान के नाम विरासत से दर्ज भी हो चुकी है।

बालूराम को भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व मे बालूराम के कब्जा काश्त में रही है बाद फोतदगी बालूराम उसके वारिसान जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है बालूराम के आवंटन होने के तीन वर्षो के बाद बालूराम या उसके वारिसान जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है खातेदार काश्तकार हो चुके थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में बालूराम के वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी एव तरतीबी प्रतिवादी सख्या 2 ता 9 के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 उनके पूर्वजो को आवटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 914 / 714 के खसरा न0 65 की 2. 5553हैक्ट भूमि का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सख्या 1 ता 9 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के विरूद्ध किसी प्रकार की रिलिफ नही होने के कारण तर्क किया गया । प्रतिवादी सख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे ग्राम धानसीया उपनिवेशन क्षैत्र घोषित हो चुका है बारानी क्षैत्रो मे आवटन नियम 1957 / 1970 के तहत आवटित रकबा की खातेदारी के सम्बध मे राज्य सरकार के उपनिवेशन विभाग द्वारा निधारित प्रक्रिया से आरक्षित दर से राशि जमा करवाने के उपरान्त ही खातेदारी विधिसम्मत कार्यवाही आपेक्षित है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद

स्वर्गवास

महावीरप्रसाद, फरसाराम, सावंरमल, किशनलाल, नन्दकिशोर भंवरी, रामी

Web Copy - Not Official

का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 413 की 10.05 बीघा भूमि दिनांक 18.07.1968 को बालुराम पुत्र रेवन्तराम को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से बालूराम का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 413 की 10.05 बीघा भूमि भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान खसरा न0 65 की 10.02 बीघा परिवर्तन एवं पैमुद की गई है।

बालुराम पुत्र रेवन्तराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज एवं कानुनी वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त मे चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में बालूराम के वारिसान के नाम विरासत से दर्ज भी हो चुकी है।

बालूराम को भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में बालूराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी बालूराम उसके वारिसान जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है बालूराम के आवंटन होने के तीन वर्षो के वाद बालूराम या उसके वारिसान जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है खातेदार काश्तकार हो चुके थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में बालूराम के वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान में ग्राम धानसीया उपनिवेशन क्षैत्र धोषित हो चुका है बासनी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा की खातेदारी के सम्बध में राज्य सरकार के उपनिवेशन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से आरक्षित दर से राशि जमा करवाने के उपरान्त ही खातेदारी विधिसम्मत कार्यवाही अपेक्षित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 413 की 10.05 बीघा भूमि दिनांक 18.07.1968 को बालुराम पुत्र रेवन्तराम को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

बालुराम पुत्र रेवन्तराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज एवं कानुनी वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त मे चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड मे बालूराम के वारिसान के नाम विरासत से दर्ज भी हो चुकी है जिसके सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 413 की 10.05 बीघा भूमि को हाल खसरा न0 65 की 10.02 में परिवर्तन कर पैमुद कर दी गई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मोजा धानसिया के खाता संख्या 914/714 के खसरा न0 65 की 2.5553 हैक में पैमुद हो चुकी है जो आवंटी बालूराम के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम से बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि पूर्व में आवटि बालूराम पुत्र रेवन्तराम के कब्जा काश्त में थी जिसके देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज के द्वारा कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज बालूराम को आवंटन होने की दिनांक 18.07.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था एवं पेरोकार राज का कथन है कि उपनिवेशन क्षेत्र धोषित होने पर किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

Web Copy Not Official

महावीरप्रसाद, फरसाराम, सावंरमल, किशनलाल, नन्दकिशोर भंवरी, रामी

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957 / 1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में जारी किये गये है वाद उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वाद इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत आती थी परन्तु बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी उस भूमि के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (2) उप / 2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1970 के नियमो के तहत आवंटित थी उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से इस परियोजना से इस परियोजना क्षेत्र में निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियो के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र मे भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

(4) Not with Standing anything contained in these rules the price of land persons to whom loan allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land foe Agriculture Purposes) Rules 1970 prior it declaration of colony area shall be 10% of the fixed under sub rule (1) in case of members of Scheduled castes scheduled tribes other backward classes and below poverty line families and 20% of the [rice fixed under sub rule (1) un case of others the price so fixed shall be payable in one instalment"

इसी संबध मे राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प 4 (2) उप / 2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक मे नियम 1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 917 / 714 के खसरा न0 65 की 2.5553हैक्ट भूमि जो वर्तमान मे इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीघा का 20 प्रतिषत 400/–प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी सख्या 2 ता 9 को राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

महावीरप्रसाद, फरसाराम, सावंरमल, किशनलाल, नन्दकिशोर भंवरी, रामी